

बिहार विधान सभा सचिवालय

निविदा-आमंत्रण

NIT No.-05//2025

बिहार विधान सभा डायरी-2026 की 2,500 (दो हजार पाँच सौ) प्रतिष्ठाएँ एक्यूटीव डायरी स्वीकृत नमूना के अनुरूप मुद्रित कर आपूर्ति करने हेतु विभिन्न इच्छुक फर्मों से कागज, बाईन्डिंग, कवर, निर्माण एवं मुद्रण से संबंधित नमूना के साथ प्रति डायरी न्यूनतम दर के साथ सीलबंद लिफाफे में निविदायें दिनांक-15.10.2025 को 3.00 बजे अपराह्न तक सचिव, बिहार विधान सभा के पदनाम से यथानिर्धारित शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है।

सभी प्राप्त निविदायें दिनांक-16.10.2025 को 03.00 बजे अप० में सचिव, बिहार विधान सभा के कार्यालय कक्ष में क्रय समिति के समक्ष खोली जाएंगी, जिसमें सभी निविदादाता स्वयं अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे।

उक्त कार्य हेतु स्वीकृत नमूना का अवलोकन तथा इससे संबंधित विस्तृत जानकारी किसी भी कार्य दिवस में सभा सचिवालय के जनसंपर्क शाखा से प्राप्त की जा सकती है।

निविदा से संबंधित निर्धारित शर्तें

1. बिहार विधान सभा डायरी-2026 के एक पृष्ठ पर दो तिथि पंचांग भाग सहित मुद्रित होगी,
2. वर्ष 2025 एवं 2026 की दिन-पत्री के साथ बिहार विधान सभा डायरी-2026 के प्रारंभ में बिहार विधान सभा से संबंधित लगभग दस रंगीन चित्र, लगभग 85 पृष्ठ कलर तथा इसके उपरान्त लगभग 55 पृष्ठों में विविध सूचनार्थें मुद्रित होगी,
3. बिहार विधान सभा डायरी-2026 में कागज एवं कवर स्वीकृत नमूना के अनुरूप उच्च कोटि का होगा,
4. निविदादाता को निविदा के साथ डायरी का नमूना संलग्न करना होगा,
5. निविदा के साथ कार्यानुभव, फर्म का निबंधन प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर चुकता प्रमाण पत्र एवं जी.एस.टी. निबंधन प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए।
6. निविदादाता को समान प्रकृति कार्य (Similar nature of works) का अनुभव होना चाहिए। निविदा के साथ नमूना एवं कार्यादेश की प्रति संलग्न होना चाहिए।
7. निविदादाता को निविदा के साथ कागज एवं कवर के विभिन्न रंगों के रेक्सोन का नमूना (फर्म की मोहर / हस्ताक्षर सहित) संलग्न करना एवं निविदा के कवर पर फर्म का पूरा नाम, पता, दूरभाष संख्या/मोबाइल संख्या अंकित करना अनिवार्य है,
8. निविदा के साथ संलग्न सभी कागजात स्वअभिप्रेमाणित एवं संख्यांकित होना चाहिए,
9. निविदादाता के पास अत्याधुनिक 04 कलर सेट ऑफसेट मशीन एवं आधुनिक बाईन्डिंग सिस्टम से सुसज्जित प्रेस पटना में होना चाहिए।
10. जिस निविदादाता का चयन मुद्रण के लिए किया जाएगा, उन्हें उक्त कार्य के लिए कुल व्यय का 5% राशि की बैंक गारंटी, जो दिनांक-31.12.2026 तक वैध हो सचिव, बिहार विधान सभा के पदनाम के पक्ष में सभा सचिवालय को जमा करना होगा, जो कार्य संतोषप्रद होने पर वापस कर दिया जाएगा।
11. मुद्रक पूर्ण रूप से तैयार बिहार विधान सभा डायरी-2026 की सभी प्रतियों की आपूर्ति दिसम्बर, 2025 के तीसरे सप्ताह तक निश्चित रूप से कर देगा,
12. मुद्रक को बिहार विधान सभा डायरी 2026 की Soft Copy MS word /PDF में या किसी अन्य उपयुक्त फॉर्मेट में पेन ड्राइव में सभा सचिवालय को उपलब्ध कराना होगा।

13. बिहार विधान सभा डायरी-2026 का स्वीकृत नमूना एवं गुणवत्ता के अनुरूप मुद्रण नहीं होने तथा निर्धारित अवधि के अंदर इसकी आपूर्ति नहीं करने की स्थिति में मुद्रक द्वारा जमा की गई जमानत राशि जब्त करने तथा विपत्र से कटौती का अधिकार सभा सचिवालय को होगा,
14. निविदादाता को निविदा के साथ नोटरीज्ड शपथ-पत्र (शपथ-पत्र निविदा प्रकाशन तिथि के बाद का) संलग्न करना होगा, जिसमें यह अंकित होगा कि उनके फर्म/प्रेस को सरकार अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठित संस्थान के द्वारा काली सूची में नहीं रखा गया है तथा इससे संबंधित कोई मुकदमा दर्ज नहीं है ।
15. उपर्युक्त सभी शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा । अपूर्ण, अस्पष्ट एवं विलम्ब से प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।
16. किसी अथवा सभी निविदाओं को बिना कारण बताये रद्द / अस्वीकृत करने का सर्वाधिकार सभा सचिवालय को सुरक्षित रहेगा ।
17. निविदादाताओं द्वारा निविदा प्रस्तुत करने का अर्थ यह होगा कि निविदादाता को उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं ।

(संजय कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक,
बिहार विधान सभा, पटना ।